आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Scheduled Caste Welfare Department, Government of Madhya Pradesh

अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

मध्य प्रदेश की यह प्रोत्साहन योजना उन जोड़ों के लिए है जिनमें अंतर्जातीय विवाह हुआ है और एक साथी अधिसूचित अनुसूचित जाति का है। इसका मकसद छुआछूत घटाना और सामाजिक मेलजोल बढ़ाना है।

क्या मिल सकता है

अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़े को Rs 2 लाख की पात्रता है। जिला स्तरीय समिति के सिफारिश करने पर, बजट के हिसाब से यह राशि जोड़े के संयुक्त बैंक खाते में जमा होती है।

किसके लिए है

मध्य प्रदेश के वे जोड़े जिनमें एक साथी अनुसूचित जाति का है और विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम में पंजीकृत है।

मुख्य शर्तें

- दोनों में से कम से कम एक साथी मध्य प्रदेश में अधिसूचित अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

दस्तावेज़

- अनुसूचित जाति वाले साथी का मध्य प्रदेश में बना जाति प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें

1. विवाह का पंजीयन हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत कराएं।
2. विवाह पंजीयन की तारीख से एक साल के भीतर मध्य प्रदेश के जाति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करें।
3. जिला स्तरीय समिति प्रकरण देखकर प्रोत्साहन राशि की सिफारिश करती है, जो उपलब्ध बजट पर निर्भर है।
4. राशि जोड़े के संयुक्त बैंक खाते में जमा की जाती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cmhelpline.mp.gov.in/Schmedetail.aspx?Schemeid=612
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-antarjatiya-vivah-protsahan/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।